

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियला जज

प्रशासन गांवों के संगे अभिपान 20.12.22 व तारीख

अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हु

24.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संगे अभिपान 2023 केम्प मालवाडा मे चेरा डुरि । शर्पी वेलाकाम तथा शर्पी राजपेरोकार तहसिलदार शानीवाडा उपस्थित ।

वेलाकाम शर्पी

शर्पी द्वारा निवेदन किया कि हमारी पूर्वोक्त आराजी मौजा मालवाडा के खसरा नम्बर 757, 758, 759, 760 जूमले रकबा 7.7 हेक्टर जिनके पुराने खसरा नम्बर 493 रकबा 48 बीघा राजस्व रेकर्ड मे पूसा कल्फ छुपरा के दिमा कौम भील, रूपला वल्य ठका, बोगला वल्य देवला के कौम तीरगार के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जमावही सकेत 2046 से 2065 तक मे शर्पी सेम्पा 1 के दादा चौघा की वजाय छोगा वल्य रूपला व जोगला वल्य देवला जो मेरे दादा है का नाम अशुभ दर्ज है। वास्तविक रूप से छोगा वल्य देवा दर्ज होना चाहिए था। अरु: श्रीमानजी छस्त आराजी मे छोगाराय पुत्र रूपाराय है स्यात पर चौघाराय पुत्र रूपाराय व जोगाराय पुत्र देवाराय के स्थान पर छोगाराय पुत्र देवाराय राजस्व रेकर्ड मे शुद्ध करने का आदेश फरमावे।

शर्पी तहसिलदार

छस्त सफरण मे तहसिलदार शानीवाडा के पत्रांक/राज/2023/222 दिनांक 12/4/2023 की रिपोर्ट चेरा की गई। जिसके सम्पत्त सकार है कि शर्पी खसरा नम्बर 757, 758, 759, 760 जूमले रकबा 7.7 हेक्टर वतमान जमावही 2074-77 मे खोलकर छोगा पुत्र रूपाराय जोगा पुत्र देवा के कौम तीरगार



उपखण्ड अधिकारी  
शानीवाडा जिला जालोर

साकिन मालवाड़ा करना पुत्र चौचा द्वै वीरह  
 कौम मील मालवाड़ा दर्ज है। प्रथम खेसलमेर  
 में ग्राम मालवाड़ा के खाल सेम्पा 4 न खसरा  
 सेम्पा 493 रकबा 48 बीघा खातेदार फुसा, कपुरा  
 पी. कुषा द्वै कौम मील व कफला वल्य डका  
 खोगला वल्य डेवला द्वै कौम तरिगर साकिन द्वै  
 खातेदार दर्ज था तथा इनसे अवीन खसरा  
 नम्बर 757, 758, 759, 760 रकबा 7-7। खेसल  
 स्टेशन डुर का पुराना नामोलख सेम्पा 256  
 अत्रराधिकारी के जमिने खातेदार रूपला वल्य डका  
 चोत होत पर खोत वल्य रूपला दर्ज किया  
 हुआ है। जमाबंदी सवेत 2035-2038 में खसरा  
 सेम्पा 493 में खातेदार जैहीपा लीफमा पी. कुषा  
 व रामजी अदरा चौचा पी. कपुरा द्वै कौम  
 मील खोत वल्य रूपला खोगला वल्य डेवला द्वै  
 कौम तरिगर साकिन द्वै खातेदार दर्ज है।

सवेत 2046-65 खाला सेम्पा 3 न खसरा नम्बर  
 757, 758, 759, 760 रकबा 7-7 में जैहीपा  
 लीफमा पी. फुसा व अदरा पी. कपुरा प्रवरा करना  
 पी. चौचा व कौम मील खोगा वल्य रूपला, खोगला  
 वल्य डेवला द्वै कौम तरिगर साकिन द्वै खातेदार  
 दर्ज है। खिलौप खेसलमेर में खोत वल्य रूपला  
 की जगह खोगा वल्य रूपला तथा खोगला वल्य  
 डेवला की जगह खोगला वल्य डेवला दर्ज  
 किया हुआ है।

हमने पत्रावली व सेलमन हतावेजों,  
 तहसीलदार के जवाब का भली-भांती अध्ययन  
 किया। आर्ची व अर्षादी राजपेबोकार तहसीलदार  
 रानीवाड़ा को सूना गया। पत्रावली के सेलमन  
 जमाबंदी सवेत 2035 से 2038 मौजा मालवाड़ा  
 के खाला सेम्पा 70 में खातेदार का नाम  
 खोत वल्य रूपला

— P.T.O —

उपखण्ड अधिकारी  
 रानीवाड़ा जिला जालौर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही अज इतिशियत्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुइ।
------------	-----------------------------------	---

व छोगला वल्द देवला 1/2 कोम तरीगर सामिन देह खातेदार दर्ज है. जलामे द्वीप सेलमेन्ट जमाबंदी सन्त 2046-2065 में मौजा मालवाडा के खाता संख्या 97 में छोगा वल्द रूपला व जोगला वल्द देवला के कोम तरीगर ला. देह खातेदार दर्ज है। इस सफार द्वीप सेलमेन्ट में छोला वल्द रूपला की जगह छोगा वल्द रूपला व छोगला वल्द देवला की जगह जोगला वल्द देवला दर्ज किया गया है। जिसे तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने जवाब व मौखिक कथनों में स्वीकार किया गया है। साथ ही पञ्चवली में सेलगन मूल्य प्रमाण-पत्र की उरि में भी छोगराम पुत्र देवाराय व चौपाराम पुत्र रूपाराम नाम दर्ज किया हुआ है। इस सफार द्वीप सेलमेन्ट में लिपिकीय क्रूरि से छोला वल्द रूपला की जगह छोगा वल्द रूपला व छोगला वल्द देवला की जगह जोगला वल्द देवला नाम दर्ज किया हुआ है, जिसे राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त किया जाना स्पष्टसंगत प्रतीत होता है।

1505/...


\* आदेश \*

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पार्श्विण का पार्श्वना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर मौजा मालवाडा, पञ्चवार हल्का मालवाडा की जमाबंदी सन्त 2074-2077 में खाता संख्या 97 के अन्तरा नम्बर 758, 759, 760 में खातेदार का नाम

उपखण्ड अधिकारी  
रानीवाडा जिल्ला जवाला

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।</p>
--------------------	---	---

दोगाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर चौधाराम पुत्र रूपाराम व जोगाराम पुत्र देवाराम के स्थान पर दोगाराम पुत्र देवाराम निर्णय जाने की राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटि की जाती है। निर्णय की पालना देउ लक्ष्मीलक्ष्मी रानीवाड़ा की प्रति भेजी जाके पंचायती फसल श्रमण होकर नगर से कम है। निर्णय आज प्रशासन गांवों के संग अधिसूचना 20.23 के अन्तर्गत मालवाड़ा में सुनाया गया।

  
**उपस्थित अधिकारी रानीवाड़ा**  
**(प्रशासन गांवों के संग-2023)**  
**केस्य ..... मालवाड़ा**